न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-355RAAJodhpur2024-150RTA223 Shaitanram Vs Lrs of Pushpa kanwar etc

शैतानराम पुत्र श्री खेताराम जाति राव-भाट निवासी-माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. श्रीमती पुष्पा कंवर पत्नी हरीसिंह के कायम मुकामः -
   1.1. भोपालसिंह पुत्र, श्री हरीसिंह जाति राजपूत,
   1.2. विरेन्द्रसिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति राजपूत,
   1.3. रघुवीरसिंह पुत्र श्री हरीसिंह जाति राजपूत, निवासीगण- माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।
2. शंकरराम पुत्र श्री खेताराम जाति राव-भाट, निवासी-माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।
3. छोटाराम पुत्र श्री खेताराम जाति राव-भाट, निवासी-माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।
4. भारतराम पुत्र श्री खेताराम जाति राव-भाट, निवासी-माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।
5. बुधाराम पुत्र श्री खेताराम, जाति राव-भाट, निवासी-माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।
6. छन्नु पुत्री श्री खेताराम, जाति राव-भाट, निवासी-माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।
7. बिरकी पुत्री श्री खेताराम जाति राव-भाट, निवासी-माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।
8. जिमना बेवा खेताराम जाति राव-भाट, निवासी-माणकलाव, तहसील व जिला जोधपुर।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जून 2024 सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जोधपुर राजस्व मूल वाद संख्या सी/34/2023 पूराना वाद संख्या 237/2012, 16/18) पुष्पा कंवर के विधिक वारिसान् बनाम शैतानराम इत्यादि

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

उपस्थित-
श्री राकेश गौड़, अधिवक्ता-अपीलाण्ट
श्री अनोपसिंह, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3
शेष रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना अनुपस्थित।

नि र्ण य

दिनांक : 17 अक्टूबर 2024

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या सी/34/2023 (पूराना वाद संख्या 237/2012, 16/18) पुष्पा कंवर के विधिक वारिसान् बनाम शैतानराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जून 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 10 सितंबर 2024 को प्रस्तुत की है।

अपीलांट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलंब को क्षमा किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 153/3 रकबा 19 बिस्वा ग्राम माणकलाव तहसील जोधपुर के संबंध धारा 183 व 188 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत निवेदन किया कि पुष्पा कंवर ने माणकलाव स्थित खसरा नं. 153/3 रकबा 19 बिस्वा को पूर्व खातेदारों से जरिये रजिस्टर्ड बेचान नामा दिनांक 21.01.2009 के खरीद किया। अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या दो से आठ ने पुष्पा कंवर की खरीदसुदा भूमि पर धार्मिक चबूतरा बनाकर पुष्पा कंवर की भूमि पर कब्जा कर लिया हैं। रेस्पोडेंट मृतक पुष्पा कंवर ने उपरोक्त खसरा की भूमि का

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

कब्जा अपीलांट व रेस्पोडेंट संख्या दो से आठ से वापस दिलाने व स्थाई निषेधाज्ञा की मांग की। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20 जून 2024 को वाद स्वीकार कर निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता-अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का ही कब्जा काश्त है चला आ रहा है। पूर्व खातेदार व मृतक पुष्पा कंवर का वादग्रस्त आराजी पर कभी भी कब्जा नहीं रहा है। पूर्व खातेदार का राजस्व रेकर्ड में नाम होने से मृतक पुष्पा कंवर ने कपटपूर्वक फर्जी बेचान नामा अपने पक्ष में करवाया है, जो अपीलांट के हक व अधिकारों के विरूद्ध शुरू से ही शून्य व प्रभावहीन है। विचारण न्यायालय में उक्त वाद की पत्रावली गुम हो गई थी, जिसे पुर्नगठित करने हेतु रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 के द्वारा धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2018 को पेश कर पत्रावली पुर्नगठन हेतु प्रार्थना की गई। उस समय रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 राजस्व वाद में पक्षकार ही नहीं थे तथा बिना पक्षकार धारा 151 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश करने का अधिकार रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 को नहीं था। धारा 151 सीपीसी के प्रार्थना पत्र दिनांक 22.05.2018 का ब्यौरा मिली भगती से दिनांक 15.02.2018 की आदेशिका में दिया गया, जो अधीनस्थ न्यायालय की प्रक्रिया संबंधी गम्भीर कानूनी त्रुटि को दर्शाता है। उक्त प्रार्थना पत्र की प्रति वकील अपीलांट को दिये जाने का कोई जिक्र विचारण न्यायालय की आदेशिका में नहीं है तथा न ही प्रार्थना पत्र की प्रति अपीलांट के अधिवक्ता को दिलाई गई। पत्रावली के पुर्नगठन में केवल वादी के ही दस्तावेज जोड़े गये। अपीलांट के दस्तावेजों को नजर अंदाज किया गया तथा पत्रावली का आधा अधूरा पुर्नगठन किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट व रेस्पोडेंट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

संख्या दो से आठ के विरुद्ध दिनांक 16.01.2024 को एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। अपीलांट के अधिवक्ता रामरख व्यास का स्वर्गवास हो जाने से अपीलांट को मामले की तारीख पेशी की इत्तिला व मृत अधिवक्ता से मामले की पत्रावली प्राप्त नहीं हुई, जिसके कारण अपीलांट दिनांक 16.01.2024 को विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो सका। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पत्रावली पुर्नगठित किये जाने के बाद साक्ष्य प्रस्तुति एवं सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना एकपक्षीय निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतों के विपरीत पारित किया है जो अपास्त योग्य है।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम पर अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किये जाने से अपीलांट को समय पर जानकारी नहीं हो सकी। अपीलांट द्वारा दिनांक 06.09.2024 को अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने पर प्रथम बार अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जानकारी हुई। अपीलांट द्वारा जानकारी से हस्तगत अपील अंदर म्याद प्रस्तुत की गई है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार फरमाया जावे एवं अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार फरमायी जाकर अपील गुणावगुण पर स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या सी/34/2023 (पुराना वाद संख्या 237/2012, 16/18) पुष्पा कंवर के विधिक वारिसान् बनाम शैतानराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जून 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन दिशा निर्देशों के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

साथ प्रतिप्रेषित किया जावे कि वे अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद का गुणावगुण पर निर्णय पारित करे।

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 के अधिवक्ता ने अपीलांट के अधिवक्ता के कथनों का विरोध करते हुए निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजी खसरा नं. 153/3 रकबा 19 बिस्वा रेस्पो. संख्या 1/1 से 1/3 की माता की पंजीबद्ध विक्रय विलेख दिनांक 27.01.2009 से खरीद सुदा आराजी है। अपीलांट द्वारा अवैध रूप से रेस्पोडेंट्स संख्या 1/1 से 1/3 की खरीदसुदा खातेदारी भूमि में धार्मिक चबूतरा बनाकर कब्जा कर लिया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण को जवाब के पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद उनके द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। विचारण न्यायालय द्वारा वाद विचारण की प्रक्रिया की पूर्ण पालना करते हुए पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये तहसीलदार जोधपुर को मौके पर रहकर रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 के खातेदारी खसरा नं. 153/3 की नियमानुसार पैमाईश करते हुए अपीलांट का कब्जा पाये जाने की स्थिति में कब्जे धारी को बेदखल करते हुए कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने का निर्णय पारित किया है। अपीलांट खसरा नं. 153/2 का खातेदार है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट की खातेदारी भूमि के संबंध में किसी प्रकार का प्रतिकूल निर्णय पारित नहीं किया है तथा न ही अपीलांट को खसरा नं. 153/3 की भूमि में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त है। अपीलांट द्वारा अत्यंत विलंब से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है तथा विलंब का कोई संतोषजनक कारण स्पष्ट नहीं किया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री विधिसम्मत होने तथा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील म्याद बाधित एवं गुणावगुण पर सारहीन होने से खारिज फरमायी जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। जहां तक अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत किये जाने में हुए विलंब का प्रश्न है। मामले के गुणावगुण पर निस्तारण हेतु म्याद के बिंदु पर नरम रूख अपनाते हुए न्याय हित में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील अपीलांट अंदर म्याद शुमार की जाती है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय में पत्रावली पुर्नगठित होने के पश्चात प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये जाने पर उनकी ओर से अधिवक्ता श्री रामरख व्यास द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा जवाब हेतु समय चाहा गया। प्रतिवादीगण को बार-बार अवसर दिये जाने के पश्चात उनकी ओर से जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने पर दिनांक 02.02.2021 को जवाब बंद कर दिया गया तथा पत्रावली को वादी की साक्ष्य हेतु मुकर्रर कर दिया गया। प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने पर दिनांक 16.01.2024 को उनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाना पाया जाता है। तत्पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा केवल वादी की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

दौराने बहस यह तथ्य सामने आया है कि प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री रामरख व्यास दौराने वाद फौत हो चुके थे, जिस कारण प्रतिवादीगण की ओर से वाद में चाराजोही नहीं हो सकी तथा उनकी ओर से जवाब एवं साक्ष्य प्रस्तुत की नही किये जा सके। उक्त तथ्य का खण्डन रेस्पोडेंट पक्ष की ओर से भी खण्डन नहीं किया गया है।

प्रकरण के गुणावगुण पर अवलोकन मुताबिक रेस्पोडेंट संख्या 1/1 से 1/3 खसरा नं. 153/3 रकबा 19 बिस्वा के खातेदार है। अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

का कथन है कि वह खसरा नं. 153/2 रकबा 3 बीघा का खातेदार है तथा मौके पर रकबा 03 बीघा पर ही काबिज है। विचारण न्यायालय द्वारा दोनो खसरान् की मौके की वस्तु-स्थिति तलब किये बिना तथा वाद विचारण की प्रक्रिया के तहत उक्त तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में विवाधक विरचित कर उभय पक्ष से साक्ष्य लिये बिना केवल वादीगण की साक्ष्य के आधार पर एकपक्षीय अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री प्राकृतिक न्याय के मूलभूत सिद्धांतो के विपरीत पारित किया जाना पाया जाता है। इन परिस्थितियों में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री अदालत हाजा की राय में समर्थन योग्य नहीं ठहरते है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर फास्ट ट्रेक जोधपुर द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या सी/34/2023 पूराना वाद संख्या 237/2012, 16/18) पुष्पा कंवर के विधिक वारिसान् बनाम शैतानराम इत्यादि में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 20 जून 2024 को खारिज किया जाकर मामला विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह अपीलांट को जवाब एवं साक्ष्य सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर वाद विचारण की प्रक्रिया की पालना करते हुए वाद का यथाशीघ्र विधिसम्मत निस्तारण करे। साथ ही अपीलांट को हिदायत है कि वह अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष नियत होने वाली पहली पेशी के रोज ही अपना जवाब प्रस्तुत करे। उभय पक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 05 नवंबर 2024 को उपस्थित रहे।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर